भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/74/4/2022 **दिनांक**: 27.04.2022

प्रति सभी बीमाकर्ता

विषय: अनुपालन की कुछ अपेक्षाओं को युक्तिसंगत बनाना

1. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अधीन जारी किया जाता है। यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बीमांकिक विषयों से संबंधित वर्तमान अनुपालन की अपेक्षाओं की प्रारंभिक समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इस परिपत्र के पैरा 3-5 के अनुसार अनुपालन की कुछ अपेक्षाओं को युक्तिसंगत बनाया जाए।

3. **जीवन बीमाकर्ताओं के लिए:**

   3.1. "वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन और संबंधित रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत की जानेवाली सूचना" (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए) के संबंध में परिपत्र संदर्भ आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/070/03/2017 दिनांक 31.03.2017 के अनुबंध I से निम्नलिखित मदें छोड़ी गई हैं:

   3.1.1. क्रम सं. 4 – समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट, देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओँ के अपवाद सहित

   3.1.2. क्रम सं. 6 – सभी वित्तीय विवरणों सहित, लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट

   3.2. उत्पाद आयोजक की प्रस्तुति के संबंध में परिपत्र संदर्भ. आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/ पीआरडी/060/03/2012-13 दिनांक 25.03.2013 निरस्त किया गया है।

   3.3. "आस्ति देयता प्रबंधन और दबाव परीक्षण" (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए) के संबंध में परिपत्र संदर्भ आईआरडीए/एसीटीएल/सीआईआर/एएलएम/005/01/2012 दिनांक 03.01.2012 के अनुसार तिमाही एएलएम विवरणियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता, देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के अपवाद सहित, छोड़ दी गई है।

   तथापि, सभी बीमाकर्ता अपने जोखिम प्रबंध और निगरानी प्रक्रिया के भाग के रूप में, उपयुक्त आंतरिक रिपोर्टिंग और विश्लेषण के साथ, अपनी एएलएम स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करना जारी रखेंगे।

   3.4. "यूनिट सहबद्ध उत्पादों में मुद्रा बाजार लिखतों" के संबंध में परिपत्र संदर्भ. 21/आईआरडीए/एसीटी/यूलिप/ओसीटी-08 दिनांक 27.10.2008 निरस्त किया गया है।

   3.5. नियुक्त बीमांकक के नियुक्ति पत्र के लिए मानक फार्मेट के संबंध में परिपत्र संदर्भ. एसीटीएल/एए/परिपत्र दिनांक 23.05.2003 निरस्त किया गया है।

4. **गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिए (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित):**

4.1. "वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन और संबंधित रिपोर्टों की प्रस्तुति के भाग के रूप में प्रस्तुत की जानेवाली सूचना" (गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए) के संबंध में परिपत्र संदर्भ. आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/075/03/2017 दिनांक 31.03.2017 के अनुबंध I से निम्नलिखित मद छोड़ दी गई है:

4.1.1. क्रम सं. 5 – सभी वित्तीय विवरणों सहित, लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट।

4.2. देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ भारतीय बीमांकक संस्थान के लागू मानकों के अनुसार तैयार की गई समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

4.3. "आस्ति देयता प्रंबधन और दबाव परीक्षण" (गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए) के संबंध में परिपत्र संदर्भ. आईआरडीए/एसीटीएल/ सीआईआर/ एएलएम/006/01/2012 दिनांक 03.01.2012 के अनुसार तिमाही एएलएम विवरणियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता, देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के अपवाद के साथ, छोड़ दी गई है।
तथापि, सभी बीमाकर्ता अपने जोखिम प्रबंध और निगरानी प्रक्रिया के भाग के रूप में, उपयुक्त आंतरिक रिपोर्टिंग और विश्लेषण के साथ, अपनी एएलएम स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करना जारी रखेंगे।

4.4. नियुक्त बीमांकक के नियुक्ति पत्र के लिए मानक फार्मेट के संबंध में परिपत्र संदर्भ. एसीटीएल/एए/परिपत्र दिनांक 11.08.2003 निरस्त किया गया है।

4.5. **पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए प्रयोज्यता:** पैरा 3 – 4 में उल्लिखित किन्हीं भी परिपत्रों के लिए जो इस परिपत्र की तारीख से तत्काल पहले पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लागू थे, पैरा 3 और 4 में उल्लिखित तदनुरूपी निरसन / आशोधन पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए भी लागू होंगे।

4.6. जब भी आवश्यकता होगी तब प्राधिकरण बीमाकर्ताओं से किसी भी दस्तावेज अथवा सूचना की माँग करेगा।

PARMOD KUMAR ARORA

Digitally signed by PARMOD KUMAR ARORA

(पी. के. अरोड़ा)
सदस्य (बीमांकक)